हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

9/12/19

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई

बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि ख०न० 1955, 1967, 1968 ता 1972, 1974 कित्ता- 8 कुल रकबा 3.50 है० तन ग्राम मेहरो की ढाणी, तहसील खण्डेला जिला सीकर में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं० 1 ता 3 के मृतक पिता मुरली के 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूमि ख०न० 3986 रकबा 1.30 है० तन ग्राम दायरा तहसील खण्डेला में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी सं० 1 ता 3 के मृतक पिता के नाम 5/12 हिस्सा व दावे में प्रतिवादी सं० 4 व 5 के 1/12 हिस्सा की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद ग्रस्त भूमि पैतृक भूमियां है। जिन पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 ता 3 बदस्तूर शामलाती काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी सं० 1 ता 3 संख्या बल में ज्यादा है। प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते है। बिना विधिक काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। बिना विधिक तकाजा के दिगर लोगो बेचान करने पर उतारू है। व भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। अतः अप्रार्थी सं० 1 ता 3 को ता दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि का मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

जवाब में वकील प्रार्थी का खण्डन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। हमने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी। तथा बहस पर गौर किया। वाद ग्रस्त भूमियों का अभितकाल्मा नहीं हुआ है। तथा शामलाती पैतृक भूमियां है अतः जब तक विधिवत विभाजन न हो जाये तब तक उभय पक्षकारान अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः **आदेश** भूमि ख०न० 1965, 1967, ता 1972, 19.. कुल किता-8 कुल रकबा 3.50 है। तन ग.. मैहरो की ढाणी व भूमि ख०न० 3986 रकबा 1.30 है० ग्राम दापरा तहसील खण्डेला जि.. सीकर राजस्थान में ता दौराने वाद उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं कोई निर्माण कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नतीजे से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)